UPUN010031632026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4 उन्नाव।

जमानत प्रा0पत्र सं0:–**1319/2026**

मो0 जलीस पुत्र खुश्वुद्दीन निवासी ग्राम बहादुरपुर तकिया थाना कन्नौज जिला कन्नौज।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

राज्य सरकार उ0प्र0 द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, उन्नाव।

.....विपक्षी।

मु0अ0सं0–98/2026,
धारा–305, 317(2), 112, 317(4)
बी0एन0एस0,
थाना–कोतवाली,
जिला–उन्नाव।

दिनांक–03.06.2026

1– आवेदक/अभियुक्त मो0 जलीस की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0–98/2026, धारा–305, 317(2), 112, 317(4) बी0एन0एस0, थाना–कोतवाली, जिला–उन्नाव के मामले में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र श्रीमती तैबुननिशा का इस आशय का दाखिल किया गया है कि शपथिनी पैरोकार मुकदमा है तथा हालात मुकदमा से बखूवी वाकिफ है। अभियुक्त का कोई भी प्रार्थना पत्र जमानत इसके पूर्व माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय में न तो दिया गया है और ना ही खारिज हुआ है और ना ही विचाराधीन है, यह प्रथम प्रार्थना पत्र जमानत दिया गया है।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार वादी संदीप कुमार द्वारा यह कहते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि "वादी संदीप कुमार पुत्र रामविलास निवासी स्थित है ग्राम चन्दरपुर रायपुर थाना बारासगवर जनपद उन्नाव का रहने वाला हूँ मेरा एक मकान गदन खेड़ा थाना कोतवाली जनपद उन्नाव में स्थित है दिनांक 18.02.2026 को दिन में मैं परिवार के साथ अपने गांव चन्दरपुर रायपुर थाना बारासगवर गए थे दिनांक 18.02.2026 की रात अज्ञात चोरों द्वारा मेरे उक्त मकान में गेट का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की जानकारी मुझे सुबह पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी द्वारा दी गई। सूचना मिलने पर जब मैं मौके पर पहुँचा देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था तथा सामान बिखरा पड़ा था। अज्ञात चोरों द्वारा मेरे घर से इनवर्टर की बैट्री सोने चॉदी के ज्वेलरी नगदी कपड़ा आदि चीज चोरी कर लिया है।" उक्त तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज किये जाने की प्रार्थना की।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि, प्रार्थी

को उक्त मुकदमे में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी का कोई भी अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी नामजद एफ0आई0आर0 नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी ने कोई चोरी की घटना कारित नहीं की है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी के पास से कोई भी बरामदगी नहीं हुयी है। प्रार्थी का घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी को थाना पुलिस ने अपनी गुडविल बनाने के लिए झूठा इस केस में नामित किया है। प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। प्रार्थी का कोई भी प्रार्थना पत्र जमानत इसके पूर्व माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय में न तो दिया गया है और ना ही खारिज हुआ है और ना ही विचाराधीन है। श्रीमान जी के यहॉ यह प्रथम प्रार्थना पत्र जमानत दिया गया है। प्रार्थी जमानत से छूटने के बाद न तो कहीं भागेगा और न ही सबूत गवाहान पर बेजा असर डालेगा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाय।

4– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6– पत्रावली के सम्यक परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त के कब्जे से जो बरामदगी व गिरफ्तारी दिखायी गयी है, उसका कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अभियोजन ने इस संबंध में भी कोई कथन नहीं किया कि अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा होने के उपरान्त गवाहों को डराया या धमकाया जा सकता है। यद्यपि अभियोजनपक्ष की ओर से अभियुक्त का आपराधिक इतिहास ही प्रस्तुत किया है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था **सतीश उर्फ काकू बनाम उ0प्र0 राज्य निर्णय दिनांक–05.01.2024** में अवधारित किया गया है कि "यदि अभियुक्त को जमानत का पात्र पाया जाता है तो केवल आपराधिक इतिहास होने के आधार पर उसे जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता।" अभियुक्त दिनांक 28.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामला अवर न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

आवेकद/अभियुक्त मो0 जलीस का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1319/2026, मु0अ0सं0–98/2026, धारा–305, 317(2), 112, 317(4) बी0एन0एस0, थाना–कोतवाली, जिला–उन्नाव स्वीकार किया जाता है। सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर अभियुक्त द्वारा

मु0–25,000/–(पच्चीस हजार) रूपये की तस्दीकशुदा दो प्रतिभू व इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र व निम्न शर्तो की एक अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जायेः–

1– अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

2– अभियुक्त न्यायालय के समक्ष आरोप एवं बयान अन्तर्गत धारा 313 दर्ज किये जाने हेतु नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अवश्य उपस्थित रहेगा।

3– अभियुक्त उपरोक्त न्यायालय के अनुमति के बिना भारत की सीमाओं से बाहर नहीं जायेगा।

4– अभियुक्त अपना पासपोर्ट न्यायालय में जमा करेगें और यदि उसका पासपोर्ट नहीं है तो इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करेगा।

5– अभियुक्त उपरोक्त अभियोजन साक्षीगण को न तो डरायेगा, न धमकायेगा और न ही प्रतिकूलतः प्रभावित करेगा।

6– यह कि अभियुक्त अभियोजन साक्ष्यों से किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

यह अभियुक्त उपरोक्त द्वारा जमानत की उल्लिखित उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो अभियोजन पक्ष को उसकी जमानत निरस्त करने के बाबत आवेदन देने का विकल्प होगा।

प्रभारी विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 4,
उन्नाव।
03.06.2026